स्व–प्रमाणित शपथ पत्र

(विद्यार्थी के पिता/पति/संरक्षक द्वारा प्रस्तुत की जानी है।)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....जाति .... स्थाई पता ....शिक्षण संस्थान..................................... .... कक्षा शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. यह कि मेरा जन आधार नम्बर ....है। मेरे जनआधार कार्ड में दर्ज सभी पारिवारिक सदस्यों की कुल आय निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	नाम सदस्य	शपथ ग्रहिता से संबंध	वार्षिक पारिवारिक आय
1.			
2.			
3.			
		कुल वार्षिक आय	

2. मेरा पुत्र/पुत्री श्री .... शिक्षण संस्थान.. .... में पाठ्यक्रम ....कक्षा ....में अध्ययनरत है।

3. मेरे जन आधार में मेरे द्वारा पारिवारिक आय गलती से '0' (शून्य) दर्ज हो गई है। ☐

अथवा

मेरे पुत्र/पुत्री के छात्रवृति आवेदन पत्र में प्रदर्शित पारिवारिक आय '0' (शून्य) सही है। ☐

(दोनों में से एक को ✓ अनिवार्य है।)

4. मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री................................. शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की (जो भी लागू) समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रू. ....अक्षरे रू..(शब्दों में) है। उक्त शपथ–पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड–मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

(नोटरी से प्रमाणित)